यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ठासीन अधिकारीः—चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
दमा नम्बर :—31/2018 प्रार्थना पत्र
ति कस्तूर देवी पत्नि ईश्वरसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा (स्थान)
——————प्रार्थीया

बनाम

मति रीना कंवर पिता सतपाल सिंह, उम्र बालिग निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा
नरेन्द्र पिता नंदा दरोगा, उम्र बालिग निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा
ति रूकमा देवी पत्नि मीठूसिंह दरोगा, उम्र बालिग निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा (स्थान)
थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
—————विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः—21.3.2018

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मालोला पटवार हल्का मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 761/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 762/3 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम र्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस रण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी राना चाहती हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का देश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 31.1.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये न विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 3 की ओर से श्री अमित कोठारी, ोकेट ने उपस्थित होकर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने बाबत सहमति प्रदान की। ी संख्या 4 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही किये जाने का श दिनांक 21.3.2018 को पारित किया गया।,

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं ाश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में हने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत या जाकर ग्राम मालोला पटवार हल्का मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

आराजी नम्बर 761/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 762/3 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि की जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सांगानेर को 700/–रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21.3.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner